

Complaints Lodged at Sholapur Central post/Telegraph office

6591. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) how many complaints have been entered in the complaint book kept at Sholapur Central Post Telegraph Office;

(b) whether a Member of Parliament lodged a complaint in Sholapur Central Post/Telegraph office during the year 1993-94; and

(c) if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) to (c)

Information for postal side

Three complaints were registered in the Complaint and Suggestion Book of Sholapur Head Post Office during the year 1993-94. All the complaints have been replied. No complaint was found noted by a Member of Parliament.

Information for Telecom. side

During the last three years 14 complaints have been noted in the complaint book kept at Central Telegraph Office at Sholapur. A complaint was recorded by Shri Prakashji Ambedkar, Member of Parliament. Departmental action has been taken against the delinquent official and the Hon'ble Member of Parliament apprised of the same.

महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिंचाई बांड जारी किया जाना

6592. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जनता से धन जुटाने हेतु सिंचाई बांड जारी करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौर क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान प्रायोगिक आधार पर 100 करोड़ रुपए के विशेष सिंचाई बांड जारी करने की स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं की क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की वर्तमान योजना केवल उन उपक्रमों तक सीमित है जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा शासित है। मुख्य स्तर के उपक्रम "सेबी" द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा शासित होते हैं। राज्य सरकारों द्वारा लिए गए उधार, योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक वित्तपोषण योजना की मानक अपेक्षाओं से शासित होते हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास मध्य प्रदेश सरकार का पक्के मकानों से संबंधित लंबित पड़ा प्रस्ताव

6593. श्री गोविन्द राम भिरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में गंदी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिये आवास उन्नयन योजना के अंतर्गत 11 नगर-पालिका/नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले कटनी, उज्जैन, सागर, खरगोन, दुर्ग, बुरहानपुर, रतलाम, खण्डवा, सीधेर, राजनंदगाव, एवं रायपुर में स्थित झुग्गियों की जगह पक्के मकान बनाने हेतु 1918.96 लाख रूपये की संस्वीकृति हेतु भेजी गई कोई योजना या प्रस्ताव राष्ट्रीय आवास बैंक नई दिल्ली के पास लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश गंदी बस्तियों के लिये कोई (एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) के मध्य प्रदेश राज्य में 11

स्थानों के लिए परियोजनाएं प्राप्त हुई थी। इन परियोजनाओं का व्यौरा इस प्रकार है:—

शहर का नाम	(राशि लाखों में) परियोजना लागत
1. कटनी	84.89
2. उज्जैन	94.32
3. सागर	48.84
4. खारगोम	120.73
5. दुर्ग	94.99
6. बुरहानपुर	131.94
7. रतलाम	56.54
8. खंडवा	237.74
9. सेहोर	74.62
10. राजनन्दगांव	147.56
11. रायपुर	826.77
योग:	1918.96

उपर्युक्त परियोजनाओं में से रायपुर, कटनी, उज्जैन, सागर, दुर्ग और रत्नाम स्थित 6 परियोजनाओं को राष्ट्रीय आवास बैंक ने गंदी बस्ती पुनर्विकास योजना के तहत पुनर्वित्त के लिए मंजूर कर दिया था। पुनर्वित्त के प्रस्ताव को प्राथमिक उधार दाताओं के माध्यम से भेजा जाना होता है। एम०पी०एस०सी०बी० ने प्राथमिक उधारदाताओं के नाम नहीं बताए हैं जिनके माध्यम से परियोजनाओं को पुनर्वित्त प्रदान किया जाना है।

12 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

- I. Report and Accounts (1992-93) of the Birds Jute and Exports Limited, Calcutta and related papers
- II. Report and Accounts (1992-93) of the Carpet Export Promotion Council, Noida, (U.P.) and related papers
- III. Report and Accounts (1992-93) of the Jute Manufactures Development Council, Calcutta and related papers

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKATSWAMI): Madam, I lay on the Table—

1. a copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-

section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

- (i) Annual Report and Accounts of the Birds Jute and Exports Limited, Calcutta, for the year 1992-93, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
 - (ii) Review by Government on the working of the above Company.
 - (iii) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above. (Placed in Library. See No.LT—5852/94) and also a copy each (in English and Hindi) of the following papers:—
- II. (a) Annual Report and Accounts of the Carpet Export Promotion Council, Noida, (U.P.), for the year 1992-93, together with the Auditors' Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Council. (Placed in Library. See No. LT. 5960/94)
 - III. (a) Eighth Annual Report and Accounts of the Jute Manufactures Development Council, Calcutta, for the year 1992-93, together with the Audit Report on the Accounts.
 - (b) Review by Government on the working of the above Council.
 - (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. (Placed in Library. See No. LT—5851/94)
- I. Report and Accounts (1992-93) of the Small Industries Development Bank of India, Lucknow and related papers